निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1936 (श0)

(सं0 पटना 826) पटना, मंगलवार, 7 अक्तूबर 2014

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

8 अगस्त 2014

सं0 22 नि0 सि0 (गया0)–24–03/2009/1076—श्री रामनन्दन शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, जल पथ प्रमण्डल, एकंगरसराय (सम्प्रति सेवानिवृत) के विरूद्व भूतही लोकाइन नदी के बायॅा तट पर स्थित लिबड़ी से एरई ग्राम तक जमींदारी बॅाध के सुदृढ़ीकरण कार्यो के कार्य समाप्ति तिथि दिनांक 30.6.08 के एक वर्ष बाद तक कार्य पूरा नहीं कराने, मंत्रिमंडल निगरानी विभाग के प्रतिबंध के बावजूद ड्रेसिंग एवं स्लोप संबंधी डिफेक्ट्स के सुधारात्मक कार्य हेतु छठा चालू विपत्र का एक लाख रूपए कीप बैक में रखने से संबंधित अनियमितता एवं एकरारनामा की शर्तो के अनुसार ससमय कार्य पूरा नहीं कराने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 131 दिनांक 02.02.11 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

श्री शर्मा द्वारा अपने बचाव बयान में प्रतिवेदित किया गया कि उक्त कार्य के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 17.3.08 को प्रभार प्राप्त हुआ। दिनांक 17.03.08 से 17.06.08 तक कार्य सम्पादन के उपरान्त दिनांक 18.6.08 को फल्गु नदी में आई बाढ़ के कारण कार्य को रोक देना पड़ा एवं पुनः खरीफ फसलों के काटे जाने के उपरान्त जनवरी 2009 में ही कार्य पुनः आरम्भ करना संभव हो सका। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री शर्मा के उक्त बचाव बयान को मान्य किया गया।

Dressing एवं Slope संबंधी सुधार हेतु एक लाख रूपये का Keep Back के संबंध में श्री शर्मा द्वारा अपने बचाव बयान में बताया गया कि बांध की लम्बाई 32.20 कि0मी0 होने के फलस्वरूप कार्य को खण्ड खण्ड में पूर्ण करने का निर्णय लिया गया। उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया कि सामान्यतः बॅाध में आवश्यक मात्रा में मिट्टी डाले जाने के उपरान्त यदि संवेदक द्वारा भुगतान प्राप्त कर लिया गया हो तो छोटी छोटी त्रुटियों के निराकरण में उनके द्वारा आनाकानी की जाती है। उक्त त्रुटि को दूर करने के मकसद से ही उनके (श्री शर्मा) द्वारा एक लाख रूपए की राशि रोककर Keep Back रखी गई। उक्त परिप्रेक्ष्य में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री शर्मा को कार्यहित का हवाला देते हुए दोषी नहीं माना गया। श्री रामनन्दन शर्मा, सेवानिवृत कार्यपालक अभियन्ता के बिरूद्व बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की सरकार के स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि श्री शर्मा द्वारा कार्यहित में संवेदक के उपर दबाव बनाने की नियत से Keep Back Money एक लाख रूपए की कटौती को जायज ठहराया गया है, जो सही नहीं है क्योंकि मंत्रिमंडल निगरानी विभाग से यह निदेश निर्गत है कि Keep Back Money की कटौती नहीं की जाय। अतएव संचालन पदाधिकारी के जॅाच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 594 दिनांक 16.5.13

द्वारा असहमति के बिन्दु पर संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के साथ द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री शर्मा द्वारा अपने पत्रांक शून्य दिनांक 12.09.13 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युतर समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन में आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया है। इसी क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि सरकारी कार्यहित में एक लाख रूपए Keep Back Money रोककर रखी गयी। इसमें कोई गलत मानसिकता नहीं थी।

श्री शर्मा, सेवानिवृत कार्यपालक अभियन्ता से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युतर की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री शर्मा के प्रत्युतर से इस तथ्य का समाधान नहीं हो पाता है कि उनके द्वारा मंत्रिमंडल निगरानी विभाग से निर्गत आदेश का उल्लंधन नहीं किया गया है। अतः मंत्रिमंडल निगरानी विभाग से निर्गत आदेश का उल्लंधन कर एक लाख रूपए Keep Back में रखने से संबंधित अनियमितता के प्रमाणित आरोप के लिए श्री रामनन्दन शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, जल पथ प्रमण्डल, एकंगरसराय (सम्प्रति सेवानिवृत) के विरूद्व सरकार द्वारा निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया हैः–

पॅाच प्रतिशत पेंशन पर एक वर्ष तक रोक।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री रामनन्दन शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, जल पथ प्रमण्डल, एकंगरसराय (सम्प्रति सेवानिवृत) के विरूद्व निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करते हुए संसूचित किया जाता हैः–

पॅाच प्रतिशत पेंशन पर एक वर्ष तक रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव। ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 826-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in